यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड देहारादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड देहारादून** के माह 07/2013 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविंद कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं एफ0आर0खान, व0ले0प0 द्वारा दिनांक 26.05.2017 से 02.06.2017 तक श्री के0 एल0 भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>**भाग-I**</u>

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वी0 पी0 सिंह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारिय द्वारा दिनांक 04.08.2013 से 12.08.2013 तक श्री आई0 के0 जुयाल लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें **राजस्व हेतु** माह 04/2012 से 06/2013 तक **एवं व्यय हेतु** माह 04/2012 से 06/2013 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में **राजस्व हेतु** माह 07/2013 से 03/2017 तक **एवं व्यय हेतु** माह 07/2013 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र: (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

(ii) (अ) <u>**राजस्व का विवरण:**</u> विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

<u>वर्ष</u>	<u>अर्जित राजस्व (रू लाख में)</u>
	N.A.

(ii)(ब)बजट <u>का विवरण</u>

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना (`)	गैर स्थापना (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)		
2013-14	-----	-----	326.19	320.22	112.12	109.73	-----	8.36
2014-15	---	---	365.25	365.25	97.17	97.17	---	-----
2015-16	----	----	392.25	392.25	101.97	101.97	----	---
2016-17	-----	-----	478.23	478.23	91.06	91.06	-----	----

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** (स्त्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण> अपर सचिव> प्रमुख वन संरक्षक> मुख्य संरक्षक >वन संरक्षक > प्रभार वनाधिकारी> सहायक वन संरक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड देहारादून** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अं कत कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड देहारादून** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अं कत कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2014 एवं 03/2017 को राजस्व की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2014 एवं 03/2017 को व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो ब</u>

<u>प्रस्तर 01- अनियमित व्यय ` 1.51 करोड़</u>

उत्तराखण्ड अधप्राप्ति (प्रोक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाहय स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार `10,00,000 (` दस लाख) से अधक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित वभाग/सक्षम प्राधकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में वज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषत करने की निर्धारित तिथ तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लए निवदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभलेखों की नमूना जांच में पाया गया क मै0 गर्ग कान्ट्क्रेट सर्वस द्वारा जुलाई 2013 से मार्च 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी थी तथा कान्ट्कैट एजेन्सी को इसके लए 07/2013 से 03/2017 तक ` 1,50,55,717 का भुगतान कया गयी है। आगे पत्रावली की जांच में पाया गया क मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क-11/1-14(4) देहरादून दिनांक 02/07/2013 द्वारा प्रभागीय वनाधकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून से M/s Garg Contrat Service Dehradun की पूर्व में MOU/Agreement की कापी उपलब्ध कराने को कहा गया था लेकन इस सम्बन्ध में वर्तमान तक (05/17) पत्रावली पर कुछ भी उपलब्ध नही है। उक्त के संबंध में कान्ट्क्रैट करने के पूर्व निवदा का आमंत्रण नही कया गया था एवं न ही कान्ट्क्रेट एजेन्सी से एम0ओ0यू0/एग्रीमेन्ट कया गया था । अतः ` 1.51 करोड़ का अनियमत व्यय कया गया था।

उक्त को इंगत कये जाने पर मै0 गर्ग कान्ट्क्रैट से कान्ट्क्रेट कर तत्संबंधी प्रति पृथक से उपलब्ध करा दी जायेगी।

वभाग का उत्तर मान्य नही था क्यो क वभाग द्वारा उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति (प्रोक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही कया गया था अतः ` 1.51 करोड़ का अनिय मत व्यय कया गया था। प्रकरण उच्चा धकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर **02-** <u>वगत लेखापरीक्षा की नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही न कया जाना</u>

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की वगत लेखापरीक्षा (अव ध माह 04/2012 से 06/2013 तक दिनांक 04.08.2013 से 12.08.2013 तक सम्पादित) प्रस्तर-01 में श्री रमेश चन्द्र चौहान, सांख्यकीय अ धकारी जो आन्तरिक लेखापरीक्षा के कथनानुसार शासकीय आवास संख्या -19/2 में निवास कर रहे है तथा कार्यालय द्वारा नियमानुसार मकान कराये भत्ते की कटौती नही की जा रही थी, के प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर मकान कराये भत्ते की वसूली कया जाना अपे क्षत था।

उक्त के संबंध में कार्यालय द्वारा प्रभागीय वना धकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून/सदस्य आवास आबंटन स मति से जानकारी प्राप्त की जा रही है क क थत आवास कसके नाम आबंटित है तदोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही कये जाने के संबंध में अवगत कराया गया था। कन्तु वर्तमान लेखापरीक्षा तक (05/2017) उक्त के संबंध में कार्यवाही नही की गयी थी।

उक्त को इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क इस बावत पृथक से कार्यवाही कर अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण उच्चा धकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
133/14-15	0	1

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
49/2013-14	1	1

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड देहारादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री आर0एस0शर्मा	**प्रमुख वन संरक्षक**
2.	श्री श्रीमती वीना शेखरी	**प्रमुख वन संरक्षक**
3.	श्री श्रीकान्त चन्दोला	प्रमुख वन संरक्षक
4.	श्री राजेन्द्र कुमार	**प्रमुख वन संरक्षक**
5.	श्री आर0 ए0 रावत	**प्रमुख वन संरक्षक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड देहारादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व